बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं0 सं0– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 1762(S) पटना, दिनांक :– 23/2/26

अधिसूचना

श्री आशीष कुमार सिन्हा तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के उक्त पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के मामले में दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–89/2006 में दिनांक–09.12.2006 को न्यायिक हिरासत में लिये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2293(एस) दिनांक–23.02.2007 द्वारा उक्त तिथि से निलंबित किया गया। श्री सिन्हा हिरासत से मुक्त होने के पश्चात उनके द्वारा दिनांक–25.06.2007 को समर्पित योगदान को अधिसूचना सं0–9560 (एस) दिनांक–14.08.2007 के द्वारा दिनांक–25.06.2007 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया। तदोपरांत उक्त मामले में अधिसूचना सं0–9569 (एस) दिनांक–14.08.2007 के द्वारा अगले आदेश तक निलंबित किया गया। इसके साथ हीं उक्त मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13746(एस) अनु0 दिनांक–29.11.2007 के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित आरोप निम्नवत है :–

(i) लखीसराय जिलान्तर्गत वर्ष 2005–06 में सूर्यगढ़ा प्रखंड के पीरी बाजार क्षेत्र में काम के बदले अनाज योजना अन्तर्गत योजना संख्या–4/2005–06 द्वारा भगतपुर–मुखहरी से लठिया कोरासी तक सम्पर्क पथ के निर्माण योजना हेतु प्राक्कलित राशि रुपये 20,97,600/– की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें प्राक्कलन अनुसार 3 फीट ऊँचाई में मिट्टी भरने का कार्य, 4 इंच में मेटल ग्रेड–1 का आकार–90 एम०एम० से 63 एम०एम० से 63 एम०एम० तथा मेटल ग्रेड–II का आकार 65 एम०एम० से 45 एम०एम० एवं मेटल–65 कि०मी० से लाने का प्रावधान निर्धारित था। परन्तु निगानी अन्वेषण ब्यूरों द्वारा गठित जाँच दल द्वारा स्थल एवं अभिलेखीय जाँच में पाया गया कि योजना संख्या–4/2005–06 में मिट्टी भराई का कार्य नहीं किया गया है, जबकि कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में पथ भराई में मिट्टी की ढुलाई/कटाई, रोलिंग एवं कम्पैक्सन का झूठा विपत्र अंकित किया जिसकी जाँच आपके द्वारा की गयी एवं तदुपरांत राशि का भुगतान किया गया इस प्रकार कनीय अभियंता (श्री केदार प्रसाद) द्वारा बिना कार्य कराये रुपये 3,81,370/– का भुगतान प्राप्त करने में आपके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। अतएव आप रुपये 3,81,370/– सरकारी राशि के गबन में संयुक्त रूप से दोषी है।''

(ii) लखीसराय जिलान्तर्गत वर्ष 2005–06 में सूर्यगढ़ा प्रखंड के पीरी बाजार क्षेत्र में काम के बदल अनाज योजना अन्तर्गत योजना संख्या–13/2005–2006, गरीब यादव के घर से वरियारपुर–सोनारी टोला तक सर्म्प पथ के निर्माण में 20,51,200/– की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें प्राक्कलन अनुसार 2 फीट ऊँचाई में मिट्टी भराई का कार्य, 4 इंच मुटाई में स्टोन मेटल ग्रेड–1 का कार्य, 3 इंच मुटाई में स्टोन मेटल ग्रेड–2 का कार्य करने का प्रावधान था।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गठित जाँच दल द्वारा स्थल जाँच में यह पाया गया कि योजना 13/2005–2006 में गरीब यादव के घर के पास से कार्य नहीं कराकर 300 गज हटकर कार्य आरम्भ किया गया। पथ में मिट्टी भराई तथा 2 फीट की जगह एक फीट कराया गया, स्टोन मेटल का आकार निर्धारित

आकार से काफी बड़ा पाया गया तथा पत्थर मशीन द्वारा कटींग नहीं किया हुआ पाया गया तथा चोरा पहाड़ से पत्थर का मिलान करने पर एक जैसा पत्थर पाया गया, पथ में मोरम कार्य भी नहीं पाया गया। जबकि मापी पुस्तिका में मिट्टी ढुलाई, भराई रौलिंग एवं कैम्पैक्सन कार्य सहित स्टोन मेटल ग्रेड–1 एवं ग्रेड–II की ढुलाई शेखपुरा एवं मोरम का कार्य एवं उसकी ढुलाई शेखपुरा से अंकित पाया। मापी पुस्तिका में अंकित मापी की जाँच आपके द्वारा की गयी, जिसके उपरान्त राशि का भुगतान किया गया, इस प्रकार श्री केदार प्रसाद, कनीय अभियंता द्वारा इस मद में रुपये 9,59,572/– का भुगतान बिना कार्य कराये प्राप्त किया गया जसमें आपका सक्रिय सहयोग किया गया। अतएव रुपये 9,59,572/– के सरकारी राशि के गबन हेतु आप संयुक्त रूप से दोषी है।"

2. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–2849 अनु0 दिनांक–28.07.2008 द्वारा उक्त गठित आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया एवं प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में श्री सिन्हा से विभागीय पत्रांक–13931 दिनांक–27.10.2008 के द्वारा बचाव का लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री सिन्हा के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नही पाते हुए प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–10910(एस) दिनांक–26.07.2010 द्वारा श्री सिन्हा को तत्कालिक प्रभाव से सेवामुक्त किया गया।

3. उक्त संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.-11703/2012 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–01.02.2019 को पारित आदेश के आलोक में अधिसूचना सं0–5046(एस) दिनांक–27.05.2019 द्वारा दंडादेश अधिसूचना सं0–10910 (एस) दिनांक– 26.07.2010 एवं पुनर्विचार अभ्यावेदन अस्वीकृत किये जाने संबंधी अधिसूचना संख्या–7320 दिनांक–27.06.2011 को निरस्त करने, श्री सिन्हा को विभाग में योगदान समर्पित करने, नये सिरे से आनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने तथा अनुवर्ती लाभ Fresh inquiry के उपरांत फलाफल के अनुरूप नियमानुसार ली जा सकेगी का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त पूर्व से गठित आरोप पत्र एवं साक्ष्यो के आधार पर संकल्प ज्ञापांक–6800(एस) दिनांक–25.07.2019 के द्वारा नए सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही संवालित की गयी।

4. श्री सिन्हा के विरूद्ध नए सिरे से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में मुख्य अभियंता–सह–संचालन पदाधिकारी, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–564 अनु० दिनांक–03.11.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–4479 (एस) अनु0 दिनांक–12.09.2024 के द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति अनु0 सहित संलग्न करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में लिखित अभ्यावेदन 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु श्री सिन्हा को निदेशित किया गया। परंतु निर्धारित अवधि से अधीक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री सिन्हा के द्वारा लिखित अभ्यावेदन विभाग को समर्पित नही किया गया।

5. उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक–4479 (एस) अनु0 दिनांक–12.09.2024 श्री सिन्हा के पता पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजा गया था, जो अबतक विभाग को वापस प्राप्त नही हुआ है। उक्त विभागीय पत्र स्पीड पोस्ट संख्या–EF530198107IN के माध्यम से श्री सिन्हा को प्रेषित किया गया था, जिसे indiapost.gov.in पर ट्रैक करने पर उक्त पत्र श्री सिन्हा को दिनांक–17.09.2024 को प्राप्त होने की पुष्टि होता है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उक्त विभागीय पत्र श्री सिन्हा को तामिला हो चुका है, परंतु इनके द्वारा कोई प्रत्युतर नही दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को विलम्बित किये जाने की मंशा से इनके द्वारा जानबूझकर लिखित अभ्यावेदन नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित पाये जाने संबंधी दिया गया निष्कर्ष श्री सिन्हा को स्वीकार है।

6. अतएव उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में श्री आशीष कुमार सिन्हा तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :–

(i) उनके पेंशन से स्थायी रूप से 10 (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती।

(ii) उनके निलंबन अवधि एवं सेवामुक्त अवधि का विनियमन की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(संजय कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा–आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।

अनु0–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष कार्य प्रमंडल, लखीसराय/उप सचिव (मुख्यालय)/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/ 6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/**श्री आशीष कुमार सिन्हा, सेवानिवृत सहायक अभियंता, पता–रामपुर (रेलवे इन्टर कॉलेज मैदान के पश्चिम), पोस्ट–जमालपुर, जिला–मुंगेर, पिन कोड–811214, मोबाईल नं0–9771896145** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– निग/सारा–6 (मं0नि0)–04/2007 1763(5) पटना, दिनांक :– 23/2/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

23.2.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।